रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 23–अगस्त 29, 2009, शनिवार/भाद्र 1–भाद्र 7, 1931
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 23—AUGUST 29, 2009, SATURDAY/BHADRA 1—BHADRA 7, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 123:—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल में पैराचिकित्सक समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल केंद्रक पैराचिकित्सक समूह "ग" भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए उसके पास आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. अधिवर्षिता.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास की अन्तिम तारीख को अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो जाएगा जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख किसी मास के पहले दिन होती है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जाएगा ।

6. चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

शेप-I से निम्नवत परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैं—

(I) 'ए' से कूट अक्षर शेप द्वारा उपदर्शित विद्यमान कारकों के अधीन अधिकारी की स्वस्थता का मूल्यांकन करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सीय वर्गीकरण, जो निम्नलिखित कृत्यों को व्यक्त करता है, अर्थात् :—

एस – मनोवैज्ञानिक

एच – श्रवण

ए – संलग्नक

पी – शारीरिक क्षमता

ई – नेत्र दृष्टि

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता प्रत्येक कूट अक्षर के सामने संख्यांक 1 से 5 तक द्वारा घटती हुई कार्यात्मक दक्षता को उपदर्शित करते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा, संख्यांक उसके सिवाय जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी 1 है, कूट अक्षर के पश्चात् लिखे जाएंगे उसका प्रवर्ग S, H, A, P, E, लिखने के बजाय शेप 1 लिखकर निर्दिष्ट किया जा सकेगा। इन संख्यांकों का साधारण मूल्यांकन निम्नवत् है :—

(1) किसी भी स्थान पर सभी कर्त्तव्यों के लिए उपयुक्त ।

(2) सभी कर्त्तव्यों के लिए उपयुक्त परन्तु इस पर निर्भर करते हुए कि क्या कर्त्तव्यों में भारी तनाव या दोनों कानों/आंखों के/श्रवण शक्ति/दृष्टि तीक्ष्ण मांग अन्तर्वलित पर है, नियोजनीयता के कर्त्तव्य और क्षेत्रों के बारे में परिसीमाएं हो सकेंगी ।

(3) 'एस' कारक के सिवाय, नैत्यिक या अप्रमणशील कर्त्तव्यों के लिए उपयुक्त परन्तु ऊंचे स्थानों (2700 मीटर से ऊपर) अत्यधिक ठण्डे क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में तथा दीर्घकालिक हस्तांतरण के लिए नियोजनीयता की परिसीमाएं हो सकेंगी ।

(4) अस्पताल में रहने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त ।

(5) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त ।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका)	41*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय योधक	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रु. 2400 रु. 5200-20200	चयन	लागू नहीं होता	महिला अभ्यर्थियों के लिए 18-25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड या संस्था से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10 +2) परीक्षा या इण्टरमीडिएट या समतुल्य। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से साधारण नर्सिंग कार्यक्रम या साधारण नर्सिंग और सेविका में डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य सरकार नर्सिंग परिषद् के रूप में रजिस्ट्रीकृत।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(8)
3. शारीरिक मानक : (क) ऊंचाई : 157 सें.मी. (ख) सीना : सुविकसित होना चाहिए । (ग) भार : ऊंचाई के अनुरूप । टिप्पण 1 : न्यूनतम मानक जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, अर्थात् गढ़वालियों, कुमाउनियों, गोरखाओं, डोगरों, मराठाओं, सिक्किमियों जैसी जातियों के अभ्यर्थियों, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करके 155 सें.मी. तक की जा सकती है । टिप्पण 2 : न्यूनतम मानक, जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, आदिवासियों या जनजातियों जिसके अंतर्गत मिजो और नगा भी है, की बाबत शिथिल करके 152.5 सें.मी. तक की जा सकती है । 4. पूर्णतया चिकित्सक दृष्टया योग्य होना चाहिए (बिना सुधार किए हुए अर्थात् चश्मा लगाए बिना न्यूनतम नेत्रदृष्टि 6/6 दाहिनी आंख और 6/12 बाईं आंख अथवा 6/9 दोनों आंखों की नेत्रदृष्टि होनी चाहिए । 5. अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढ़ी हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो । 6. शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षाओं में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
50% सीधी भर्ती द्वारा, 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदात्मक आधार पर	प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर नियुक्ति : (क) सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के :– ऐसे हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा की हो और जिनके पास खंड 8 के अधीन यथा विहित अर्हताएं हैं । या ऐसे हैड कांस्टेबलों पर, जिनके पास सेना या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्था से अर्हित नर्सिंग/सहायक नर्सिंग तथा सेविका पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र हो और सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के ट्रेड में केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठनों में बिताने पांच वर्ष का अनुभव भी हो, आवश्यकता होने के आधार पर रिक्तियां भरने के लिए भी विचार किया जा सकेगा । ऐसे हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका) से रिक्तियां केवल उन परिस्थितियों में जब ऐसे हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्स और सेविका) जिनके पास साधारण नर्सिंग कार्यक्रम या साधारण नर्सिंग और सेविका का डिप्लोमा तुरन्त उपलब्ध नहीं है, जो अस्थाई प्रकृति के होंगे और जब उन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो वे अपने मूल काडर/ट्रेड/विभाग में प्रतिवर्तित हो जाएंगे । (ख) राज्य और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के अधिकारी :– राज्य और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के ऐसे अधिकारी, जो उस ट्रेड में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के साथ सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास खंड 8 में यथा विहित अर्हताएं हैं ।

(12)

टिप्पण : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हैं, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह तब जब कि ऐसे पाठ्यक्रम/अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय/राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यकत् अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हों ।

टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति/संविदात्मक/पुनर्नियोजन आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियनों में प्रवेश की आयु 5 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी ।

टिप्पण 3 : सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभाग द्वारा हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका) के पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्ण-कालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर किसी नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका को नियोजित करने/नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

टिप्पण 4: किन्हीं अन्य कारणों से, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग सेविका) की अनुपलब्यता की दशा में, सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थाओं से नर्सिंग/सहायक नर्सिंग सेविका के प्रशिक्षित और अर्हित और जिनके पास पिछले 8 वर्ष का अनुभव है, पर भी स्थिति में सुधार हो जाने तक, रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन और पुष्टि पर विचार करने के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) उपमहानिरीक्षक (चिकित्सा), सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष (2) कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य (3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा)	36*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रु. 2400 रु. 5200-20200 योधक ।	चयन	लागू नहीं होता	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18-25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है)

		(7)
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड या संस्था से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10 +2) परीक्षा या इण्टरमीडिएट या समतुल्य । 2. किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत । 3. शारीरिक मानक : (क) ऊंचाई : सभी राज्यों के साधारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. । (ख) सीना : 77 सें.मी. (फुलाने के पश्चात् 82 सें.मी.) (ग) भार : ऊंचाई के अनुरूप । **टिप्पण 1 :** न्यूनतम मानक जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, आदिवासियों या जनजातियों जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी हैं, की बाबत शिथिल करके 162.5 सें.मी. तक की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** सीने की माप से सम्बन्धित न्यूनतम मानक आदिवासी/जनजातियों के लिए क्रमश: 77 सें.मी. बिना फुलाव के और फुलाव के साथ 82 सें.मी. और बिना फुलाव के 76 सें.मी. तथा फुलाव के साथ 81 सें.मी. शिथिल किया जा सकता है । 4. पूर्णतया चिकित्सक दृष्टया योग्य होना चाहिए (बिना सुधार किए हुए अर्थात् चश्मा लगाए बिना न्यूनतम नेत्रदृष्टि 6/6 दाहिनी आंख और 6/12 बाई आंख अथवा 6/9 दोनों आंखों की होनी चाहिए । 5. अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढ़ी हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्त्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो । 6. शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षणों में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(11)	(12)
50% सीधी भर्ती द्वारा, 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदात्मक आधार पर ।	प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक आधार पर नियुक्ति : (क) सेना, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के:- ऐसे हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन यथा विहित अर्हताएं हैं; या ऐसे हैड कांस्टेबलों पर, जिनके पास सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थाओं से अर्हित नर्सिंग सहायक नर्सिंग या उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र हो और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों केन्द्रीय/राज्य पुलिस बलों के ट्रेड में पिछले पांच वर्ष का अनुभव भी हो, आवश्यकता होने पर रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जा सकेगा । ऐसे हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा) से रिक्तियां केवल उन परिस्थितियों में जब ऐसे हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा) जिनके पास भेषजी विज्ञान का डिप्लोमा है तुरन्त उपलब्ध नहीं है, जो कि अस्थाई प्रकृति के होंगे और जब उन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से प्रत्यावासित कर दिया जाता है तो वे अपने मूल काडर/ट्रेड/विभाग में परिवर्तित हो जाएंगे । (ख) राज्य और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के अधिकारी:-. राज्य और केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के ऐसे अधिकारी, जो उस ट्रेड में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के साथ सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में यथा विहित अर्हताएं हैं । टिप्पण 1 : ऐसे सेना कार्मिक भी जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं या जिन्होंने सेना द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हैं, जो इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हों, ऐसे पदों के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह तब जब कि ऐसे पाठ्यक्रम/अर्हताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय/राज्य प्राधिकरण द्वारा समतुल्य रूप में सम्यकत् अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो । टिप्पण 2 : किसी भी स्रोत से प्रतिनियुक्ति/संविदात्मक/पुनर्नियोजन आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों की दशा में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियनों में प्रवेश की आयु 5 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी । टिप्पण 3 : सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभाग द्वारा हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा) के पदों को भरने में आई समस्या की दशा में, आपदा की अवधि के दौरान या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक अपेक्षा का ध्यान रखने के लिए संविदात्मक आधार पर किसी हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा) को नियोजित/नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । टिप्पण 4 : किन्हीं अन्य कारणों से, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में हैड कांस्टेबल (पैराचिकित्सा की अनुपलभ्यता की दशा में, सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थाओं से पैराचिकित्सा में प्रशिक्षित और अर्हित कांस्टेबल और जिनके पास पिछले 8 वर्ष का उस ट्रेड में अनुभव है, पर भी स्थिति में सुधार हो जाने तक, रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा । टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन और पुष्टि पर विचार करने के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) उपमहानिरीक्षक (चिकित्सा), सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष (2) कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य (3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17/05/2006-पर्स/बीएसएफ/पार्ट फाईल]

वरूण कुमार साहु, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th August, 2009

G.S.R. 123.— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Paramedics Group 'C' posts in Border Security Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Paramedics Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications, etc.**—The method of recruitment age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment under these rules :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Superannuation.**—A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years :

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of fifty seven years.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

SHAPE-I means Medical Category defined as under :—

(i) medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions, namely :—

S – Psychological

H – Hearing

A – Appendages

P – Physical Capacity

E – Eye- Sight

(ii) functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S_1 H_1 A_1 P_1 E_1. General evaluation of these numerals is as under :—

(1) Fit for all duties anywhere.

(2) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing /vision of both ears/eyes.

(3) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(4) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(5) Permanently unfit for duties.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Head Constable (Nurse/ Assistant Nursing and Mid-wifery)	41*(2009) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised	PB-1, Grade Pay Rs. 2400 Rs. 5200-20200	Selection	Not applicable	Female candidates between 18-25 years (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spite District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
(8)	(9)	(10)
1. Senior Secondary School Certificate (10+2) examination or Intermediate or equivalent from a recognized Board or Institution of Education. 2. Diploma in General Nursing programme or General Nursing and Midwifery from a Government recognized institute and registered as a Nurse or Midwife with Central or State Nursing Council. 3. Physical Standards : Height – 157 cms Chest – Should be well developed. Weight – Corresponding to Height. Note. 1 The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 155 cms in respect of persons belonging to the races, namely Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, person hailing from Leh and Ladakh, Kashmir valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh. Note. 2 The minimum standard so far it relates to height may be relaxed to 152.5 cms in respect of Adivasis or Tribals including Mizos and Nagas. 4. Should be medically fit in all respects. (Visual standard should be 6/6 to right eye and 6/12 left eye or 6/9 both eye without optical device.) 5. The candidates must not have knock knee, flat foot, vari cose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the Govt. duties. 6. Must qualify the physical and written tests.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
(i) 50% by direct recruitment. (ii) 50% by deputation or contractual basis.	**Deputation or appointment on contractual basis.—** **(a) Officers of Army, Central Para Military Forces, Central or State Police Organizations :—** Head Constables (Nurse/Assistant Nursing and Midwifery) having two years minimum regular service in the grade and possessing qualification as prescribed under column Eight. Head Constables having certificate of successful completion of qualified Nursing/Assistant Nursing and Midwifery course from Army or Central Para Military Forces recognized Hospital/Institution and also having experience in

(12)

the trade in Army/Central Para Military Forces, Central/State Police Organisations, for last 5 years may also be considered to fill the vacancies on need basis. Such Head Constable (Nurse/Assistant Nursing and Midwifery) should fill the vacancy(s) only in circumstances when Head Constable (Nurse/ Assistant Nursing and Midwifery) with Diploma in General Nursing programme or General Nursing and Midwifery are not readily available which will be temporary in nature and will be reverted back to their original cadre/trade/ department once repatraited from National Disaster Response Force.

(b) Officers of State and Central Government Hospitals.

Officers of the State and Central Government Hospitals holding analogous posts with minimum two years experience in the trade and having qualifications as prescribed under column 8.

Note 1. The Army personnel who possess qualifications or successfully completed courses recognized by Army as equivalent to the educational qualifications prescribed for these posts will also be eligible for such posts provided that such courses/qualifications are duly approved and recognized as equivalent by any Central/State authority like All India Council of Technical Education.

Note 2. In case of personnel recruited through deputation/contractual/ re-employment basis from any source, the age of induction to National Disaster Response Force Battalions will be increased by 5 years.

Note 3. In case of problem faces in filling the posts of Head Constable (Nurse/ Assistant Nursing and Midwifery) by the department either through direct entry or by deputation, efforts will be made to employ/engage some Nurse/ Assistant Nursing and Midwifery on contractual basis either to take care of full time or part time requirement during the period of disaster.

Note 4. In case of non-availability of Head Constable (Nurse/Assistant Nursing Midwifery) in Central Para Military Forces due to any other reasons, the Constables trained and qualified in Nursing/Assistant Nursing Midwifery from Army/Central Para Military Forces recognized Hospital or Institutions and having experience of last 8 years in the trade may also be considered to fill the vacancies till situation improves.

Note 5. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations and departments shall ordinarily not exceed three years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for selection and for confirmation) consisting of :— 1. Deputy Inspector General (Medical) Border Security Force —Chairman 2. Commandant, Border Security Force —Member 3. Chief Medical Officer/ Senior Medical Officer/ Medical Officer Border Security Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Head Constable (Paramedic)	36*(2009) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised	PB-1, Grade Pay Rs. 2400 Rs. 5200—20200	Selection	Not applicable	Male candidates between 18-25 years (Relaxable for Government servants, Scheduled Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
1. Senior Secondary School Certificate (10+2) examination or Intermediate or equivalent from a recognized Board or Institution of Education. 2. Diploma in Pharmacy from a Government recognized institute and registered as a Pharmacist under Pharmacy Act, 1948. 3. Physical Standards : Height – 165 cms for General/Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes candidates of all states. Chest – 77 cms (82 cms after expansion) Weight – Corresponding to height. Note. 1 The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 cms to Adivasis of all States/Union Territories including Hillmen and Nagas. Note. 2 The minimum standard so far it relates to Chest measurement may be relaxed 77 cms unexpanded and 82 cms expanded to 76 cms unexpanded and 81 cms expanded respectively for Adivasis or Mizos or Nagas. 4. Should be medically fit in all respects. (Visual standard should be 6/6 to right eye and 6/12 left eye or 6/9 both eye without optical device.)	Not applicable	Two years for direct recruits.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			upgradation to Group 'C' Rs. 5200-20200 (PB.1) plus Grade pay of Rs. 1800.			candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(8)	(9)	(10)
(a) Qualification : 8th Standard pass or equivalent from a recognized School or Institution. (b) Experience : six months as Bearer. **Note :** The qualification(s) regarding experience is a relaxable, at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
By promotion, failing which by deputation/ absorption and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Wash Boy (Dish Cleaner) with atleast two years regular service in the pay band of Rs. 5200-20200 (PB.1) plus Grade pay of Rs. 1800/-(pre-revised scale of pay of Rs. 2550-3200). **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/Absorption :** Officers of the Central Government :— (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) Wash Boy (Dish Cleaner) with at least two years regular service in the pay band of Rs. 5200-20200 (PB.1) plus Grade pay of Rs. 1800/- (pre-revised scale of pay of Rs. 2550-3200), and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under under column 8. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The department officials who are not in direct line of promotion

(12)
will not be eligible for consideration for appointment on depuation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2** : The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of : (1) Under Secretary (Admn.) —Chairman (2) Section Officer from Ministry of Home Affairs —Member (3) Section Officer (Admn. III), Department of Personnel and Training —Member (4) Section Officer, Department of Personnel and Training (from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Community) —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Wash Boy (Dish Cleaner)	5* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'D') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4440-7440 (-1S) plus Grade Pay of Rs. 1300 and on upgradation to Group 'C' Rs. 5200-20200 (PB,1) plus Grade pay of Rs. 1800.	Not applicable.	No	18—27 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years and upto the age of 45 years in respect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
Desirable Primary Standard pass	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of : (1) Under Secretary (Admn.) —Chairman (2) Section Officer from Ministry of Home Affairs —Member (3) Section Officer (Admn. III), Department of Personnel and Training —Member (4) Section Officer, Department of Personnel and Training (from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Community) —Member	Not applicable.

[No. A-12018/1/2008-Ad. III]
P. K. MISRA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और होम्योपैथिक मेडिकलीनिक प्रयोगशाला, गाजियाबाद (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उनका संबंध वैज्ञानिक सहायक (रसायन शास्त्र) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, होम्योपैथिक मेडिकलीनिक प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वैज्ञानिक सहायक (रसायन शास्त्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथिक मेडिकलीनिक प्रयोगशाला, गाजियाबाद, वैज्ञानिक सहायक (रसायन शास्त्र) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा आदि अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को आयु, अर्हता द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर अथवा आयोजन पर	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक सहायक (रसायन शास्त्र)	02*(2009) "अनारक्षित" को आधार पर परिवर्तनीय किया जा सकता है ।	राजपत्रित केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसूचितिवीय	पी बी-1, 5,200-20,200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा

	(7)
	में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण I : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में एम.एससी. डिग्री या समतुल्य और औषधियों की भेषज अभिज्ञान संबंधी पहचान में अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता ।
1. सलाहकार, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग — अध्यक्ष	
2. निदेशक, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग — सदस्य	
3. निदेशक, होम्योपैथिक फेडरेशन प्रयोगशाला, गाजियाबाद — सदस्य	

[फा. सं. ए-11014/02/2005-एचपीसी/(एचपीएल)]

सुमन चटर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

New Delhi, the 7th August, 2009

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 1976, in so far as it relates to the post of Scientific Assistant (Chemistry), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant (Chemistry) in the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad, Scientific Assistant (Chemistry) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Scientific Assistant (Chemistry)	02* (2009) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazette, Non-Ministerial	Rs. 5200-20200 P1 and Grade pay of Rs. 2800/-	Not applicable	Not applicable	Upto: 30 years. (Relaxable for Government Servents up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note: 1** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union territory of lakshadweep). **Note : 2** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
M.Sc. Degree in Chemistry from a recognised University or equivalent with one year experience in research in Pharmacognostic identification of Drugs.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(11)	(12)
direct recruitment	Not applicabel

If a department promotion Committee exists, what is its composition ?	Cirumstances in which Union Public Service Commiasion is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental promotion Committee (for confirmation) consisting of:— 1. Advisor, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. —Chairman 2. Director, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. —Member 3. Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad. —Member	Not applicable

[F. No. A-11014/02/2005-HPC/(HPL)]
SUMAN CHATTERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उनका संबंध वैज्ञानिक सहायक (भेषज अभिज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वैज्ञानिक सहायक (भेषज अभिज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, वैज्ञानिक सहायक (भेषज अभिज्ञान) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक सहायक (भेषज अभिज्ञान)	02*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	पी बी-1, 5,200-20,200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

2967 GI/09-7

	(7)
	टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वनस्पति विज्ञान में एम.एससी. डिग्री या समतुल्य और औषधियों की भेषज अभिज्ञान संबंधी पहचान में अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता ।
1. सलाहकार, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग — अध्यक्ष	
2. निदेशक, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग — सदस्य	
3. निदेशक, होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद — सदस्य	

[फा. सं. ए-11014/02/2005-एचपीसी/(एचपीएल)]

सुमन चटर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2009

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 1976, in so far as it relates to the post of Scientific Assistant (Pharmacognosy), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant (Pharmacognosy) in the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the **Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad,** Scientific Assistant (Pharmacognosy) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Scientific Assistant (Pharma-cognosy)	02* (2009) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerieal	Rs. 5200-20200 P1 and Grade Pay 2800	Not applicable	Not applicable	Upto: 30 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

(7)
Note: 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory lakshadweep). **Note:** 2 The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
M.Sc. Degree in Botany from a recognised University or Institution or equivalent with one year experience in research in Pharmacognostic identification of Drugs.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
direct recruitment	Not applicable

If a department promotion Committee exists, what is its composition ?	Cirumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental promotion Committee (for confirmation) consisting of:—	Not applicable.
1. Advisor, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. —Chairman	
2. Director, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. —Member	
3. Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad. —Member	

[F. No. A-11014/02/2005-HPC/(HPL)]

SUMAN CHATTERJEE, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 128.—मूल नियमावली के नियम 45 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रपति सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 में और संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक व लागू होना :

(1) इन नियमों को सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2009 के नाम से जाना जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. अनुपूरक नियम 317-बी-5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए अनुपूरक नियम :

सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली, 1963 के अनुपूरक नियम-317-बी-5, में निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

"आवासों की वर्गीकरण अनुपूरक नियम-317-बी-5

(1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई अधिकारी निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए टाइप के आवास के आबंटन हेतु पात्र होगा/होगी :—

तालिका

आवास का टाइप	ग्रेड वेतन/मूल वेतन
(1)	(2)
I	रु. 1,300, रु. 1,400, रु. 1,600, रु. 1,650 तथा रु. 1,800
II	रु. 1,900, रु. 2,000, रु. 2,400, तथा रु. 2800
III	रु. 4,200, रु. 4,600, और रु. 4,800
IV	रु. 5,400, से 6,600
IV (स्पै.)	रु. 6,600
V-ए (डी-II)	रु. 7,600 और 8,000
V-बी (डी-I)	रु. 8,700 और रु. 8,900
VI-ए (सी-II)	रु. 10,000
VI-बी (सी-I)	रु. 67,000 से रु. 74,999
VII	रु. 75,000 से रु. 79,999
VIII	रु. 80,000 तथा अधिक

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई अधिकारी निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए टाइप के हॉस्टल आवास के आबंटन हेतु पात्र होगा/होगी :–

तालिका

हॉस्टल का टाइप	अधिकारी की श्रेणी अथवा उस तारीख को उनका ग्रेड वेतन, जिसे केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया है ।
(1)	(2)
सिंगल स्यूट (रसोईघर रहित)	रु. 4,200 तथा उच्चतर
सिंगल स्यूट (रसोईघर सहित)	रु. 4,200 तथा उच्चतर
डबल स्यूट	रु. 5,400 तथा उच्चतर
वर्किंग गर्ल होस्टल	सभी महिला अधिकारी, परिलब्धियों की सीमा के बगैर, पात्र होंगी ।

स्पष्टीकरण: किसी प्रकार के शक को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि

(ए) सरकारी आवास हेतु किसी अधिकारी की पात्रता भारत सरकार में अधिकारी के मौजूदा पद के ग्रेड वेतन के अनुरूप निर्धारित की जाएगी ।

(बी) निचले टाइपों अर्थात् टाइप-I से टाइप-IV के संबंध में पूर्विकता तारीख भारत सरकार में सेवा में आने की तारीख होगी ।

(सी) उच्चतर टाइप के आवास में अंत: परस्पर वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित की जाएगी, यथा:

(i) प्रथमत:, अधिकारी का ग्रेड वेतन;

(ii) इसके बाद समान ग्रेड वेतन के भीतर पूर्विकता तिथि । इस संबंध में पूर्विकता तिथि वह तिथि होगी जबसे आवेदक विद्यमान ग्रेड वेतन सतत रूप से आहरित कर रहा हो;

(iii) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि समान हो तो अधिकारियों की अंत: परस्पर वरिष्ठता उनके मूल वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी अर्थात् उच्चतर/अधिक मूल वेतन वाला अधिकारी प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ माना जाएगा;

(iv) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि व मूल वेतन समान हों तो अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु अगला सिद्धांत भारत सरकार की सेवा में पहले कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है;

(v) जब दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तिथि, मूल वेतन तथा सरकारी सेवा ज्वाइन करने की तिथि समान हो तो पहले सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी को बाद में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी से उच्चतर प्राथमिकता दी जाएगी;

(डी) दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की अंत: परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण का सिद्धांत जैसाकि खण्ड (सी) के उप खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट है 1 जनवरी, 2010 से लागू किया जाएगा ।

(ई) जहां पर टाइप V व टाइप VI आवास को क्रमश: टाइप V ए तथा टाइप V बी एवं टाइप VI ए व टाइप VI बी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वहां टाइप V हेतु पात्र सभी अधिकारियों को एक साथ रखा जाएगा तथा इसी प्रकार टाइप VI हेतु पात्र अधिकारियों को भी एक साथ कर दिया जाएगा;

(एफ) भारत सरकार के सचिवों तथा अपर सचिवों के मामले में दिल्ली में भारत सरकार की सेवा में आने की तारीख से उनकी अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी बशर्ते उसी सेवा में अधिकारी के बैच के किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके बैच के वरिष्ठ अधिकारी से प्राथमिकता प्रदान न की गई हो । जिन मामलों में सेवा में आने की तारीख समान हो, सेवा-निवृत्ति की तारीख उनकी परस्पर वरिष्ठता-क्रम इस सिद्धांत पर सुनिश्चित करेगी कि पहले आने वाली तारीख को बाद की तारीख से वरियता दी जाएगी । अखिल भारतीय सेवाओं (ए आई एस) से इतर अधिकारियों के मामले में तैनाती के स्थान को दरकिनार करते हुए उनके भारत सरकार में सेवा में आने की तिथि से अंत: परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी ।

(जी) टाइप-V तथा उच्चतर आवास के पात्र अधिकारी पात्रता से निचले आवास हेतु आवेदन करने के भी पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसा आवास टाइप-IV स्पैशल आवास से कम न हों । तथापि, डी-II और टाइप-IV स्पै. के लिए पात्र अधिकारी टाइप-IV आवास हेतु आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे/होंगी ।

[फा. सं.-12035/1/98-नीति-II]

आर. एन. यादव, संपदा उपनिदेशक (नीति)

पाद टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 6 मई, 1963 के एस.ओ. सं. 1330 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियम 1980 में पुन: मुद्रित किए गए थे (अक्तूबर, 1979 तक संशोधित) तथा तदन्तर निम्नानुसार आशोधित किए गए थे :

1. एस.ओ. 1607, दिनांक 24 अप्रैल, 1982
2. एस.ओ. 4202, दिनांक 18 दिसम्बर, 1982
3. जी.एस.आर. 159, दिनांक फरवरी, 1983
4. एस.ओ. 2085, दिनांक 01 मई, 1985
5. सं. एस.ओ. 666, दिनांक 22 फरवरी, 1986
6. जी.एस.आर. 530, दिनांक 11 जुलाई, 1987
7. जी.एस.आर. 796, दिनांक 24 अक्तूबर, 1987
8. जी.एस.आर. 265, दिनांक 30 मई, 1992
9. जी.एस.आर. 150, दिनांक 26 मार्च, 1994
10. जी.एस.आर. 447, दिनांक 03 सितम्बर, 1994
11. जी.एस.आर. 454, दिनांक 14 अक्तूबर, 1995
12. जी.एस.आर. 542, दिनांक 30 नवम्बर, 1996
13. जी.एस.आर. 58, (ई) दिनांक 28 जनवरी, 1998
14. जी.एस.आर. 287, (ई) दिनांक 01 जून, 1998
15. जी.एस.आर. 225, दिनांक 12 नवम्बर, 1998
16. जी.एस.आर. 239, दिनांक 21 जुलाई, 1999
17. जी.एस.आर. 27, दिनांक 13 जनवरी, 2001
18. जी.एस.आर. 346, दिनांक 23 जून, 2001
19. जी.एस.आर. 528 (ई), दिनांक 13 जुलाई, 2001
20. जी.एस.आर. 20, दिनांक 03 फरवरी, 2009

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Director of Estates)

New Delhi, the 21st August, 2009

G.S.R. 128.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—

1. **Short title and commencement—**

(1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of new Supplementary Rules for Supplementary Rules-317-B-5 :**—In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, for Supplementary Rule -317-B-5, the following Supplementary Rules shall be substituted, namely :—

"Classification of residences, S.R. 317-B-5

(1) Save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of residence of the type shown in column (1) of the Table below :

TABLE

Type of Residences	Grade Pay/Basic Pay
(1)	(2)
I	Rs. 1,300, Rs. 1,400, Rs. 1,600, Rs. 1,650 and Rs. 1,800
II	Rs. 1,900, Rs. 2,000, Rs. 2400 and Rs. 2,800
III	Rs. 4,200, Rs. 4,600 and Rs. 4,800
IV	Rs. 5400 to Rs. 6,600
IV (Spl.)	Rs. 6,600
V-A (D-II)	Rs. 7,600 and 8,000
V-B (D-I)	Rs. 8,700 and Rs. 8,900
VI-A (C-II)	Rs. 10,000
VI-B (C-I)	Rs. 67,000 to Rs. 74,999
VII	Rs. 75,000 to Rs. 79,999
VIII	Rs. 80,000 and above

(2) Save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of type of hostel accommodation as shown-in column-(1) of the Table below :

TABLE

Type of Hostel	Category of Officer or his Grade Pay as on such date as may be specified by the Central Government for the purpose
(1)	(2)
Single Suite (Without Kitchen)	Rs. 4,200 and above
Single Suite (With Kitchen)	Rs. 4,200 and above
Double Suite	Rs. 5,400 and above
Working Girl Hostel	All lady officers without limit of emolument shall be eligible

Explanation: For the removal of doubt it is, hereby, clarified that,—

(a) the eligibility of an officer for Government accommodation shall be determined as per the Grade Pay of such officer in his present post held in the Government of India,

(b) the date of priority in respect of lower type accommodation i.e. Type-I to Type-IV shall be the date of joining in the service of the Government of India,

(c) the inter-se seniority for the higher type accommodation shall be considered on the basis of following principles, namely :

(i) firstly the Grade Pay of the officer ;

(ii) secondly the priority date within the same Grade-Pay. In this case the priority date shall be the date from which the applicant continuously drawing his existing Grade Pay ;

(iii) where the priority date of two or more officers is the same, the inter-se seniority of the officers shall be determined on the basis of the basic pay i.e. the officers who have a higher pay shall be senior in the waiting list,

(iv) where the priority date and the basic pay of two or more officers are the same, the earlier date of joining in the service of the Government of India shall be the next determining principle of inter-se seniority,

(v) where the priority date, basic pay and date of joining in the service of the Government of India of two or more officers are the same, the officer retiring earlier may be accorded higher priority over the officer retiring later,

(d) the principle of determining the inter-se seniority of two or more officers as specified in sub-clause (ii) of clause (c) shall be implemented from the 1st January, 2010.

(e) where Type-V and Type-VI accommodation has not been classified as Type V-A and Type V-B and Type-VI-A and Type-VI-B respectively, all the officers eligible for Type -V shall be grouped together and similarly those eligible for type -VI shall also be grouped together,

(f) in the case of Secretary to the Government of India and Additional Secretary to the Government of India, the date of joining in the Government of India at Delhi shall determine their inter-se seniority subject to condition that no junior batch officer of the same service shall get priority over his senior batch officer. Where the date of joining is the same, the date of retirement shall determine their inter-se seniority on the principle that the earlier date shall be given priority over the later date. Other than All India Services (AIS), the date of joining the Government of India, irrespective of the place of posting and service/batch seniority, shall determine the inter-se seniority,

(g) officers entitled for Type-V and above accommodation shall also be eligible to apply for accommodation below their entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below Type-IV Spl. accommodation. However, the officers eligible for D-II and Type-IV Spl. shall also be eligible to apply for Type-IV accommodation."

[F. No. 12035/1/98-Policy-II]

R. N. YADAV, Dy. Director of Estates (Policy)

Foot note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number S.O. 1330, dated the 6th May, 1963. The rules were re-printed in 1980 (Corrected up to October, 1979) and subsequently amended, vide, number :

1. S.O.1607, dated the 24th April, 1982,
2. S.O. 4202, dated the 18th December, 1982,
3. G.S.R. 159, dated the February 1983,
4. S.O. 2085, dated the 1st May, 1985,
5. S.O. 666, dated the 22nd February, 1986,
6. G.S.R. 530, dated the 11th July, 1987,
7. G.S.R. 796, dated the 24th October, 1987,
8. G.S.R. 265, dated the 30th May, 1992,
9. G.S.R. 150, dated the 26th, March, 1994,
10. G.S.R. 447, dated the 3rd September, 1994,
11. G.S.R. 454, dated the 14th October, 1995,
12. G.S.R. 542, dated the 30th November, 1996,
13. G.S.R. 58 (E), dated the 28th January, 1998,
14. G.S.R. 287(E), dated the 1st June, 1998,
15. G.S.R. 225, dated the 12th November, 1998,
16. G.S.R. 239, dated the 21st July, 1999,
17. G.S.R. 27, dated the 13th January, 2001,
18. G.S.R. 346, dated the 23rd June, 2001,
19. G.S.R. 528(E), dated the 13th July, 2001,
20. G.S.R. 20, dated the 3rd February, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.